भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1168
28.07.2025 को उत्तर के लिए

तेलंगाना के औद्योगिक जिलों में हरित आवरण

1168. श्री कुंदुरु रघुवीर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तेलंगाना में नलगोंडा, जहां विशेषकर सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की भारी मात्रा के कारण पर्यावरणीय तनाव बढ रहा है, जैसे जिले महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभरे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे औद्योगिक रूप से सक्रिय जिलों में प्रदूषण कम करने और पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने के लिए हरित आवरण के प्रसार को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकारण (कैम्पा), हरित भारत मिशन और अन्य योजनाओं के अंतर्गत नलगोंडा में कार्यान्वित वनरोपण और प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का नलगोंड़ा जैसे औद्योगिक गलियारों में राज्य सरकारों के सहयोग से कोई केंद्रित हरित क्षेत्र या बफर वृक्षारोपण पहल आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तत्कालीन नलगोंडा जिले में बारह सीमेंट उद्योग (वर्तमान में नलगोंडा जिले में 2 और सूर्यापेट जिले में 10) प्रचालन में हैं। वायु और जल प्रदूषण को बढ़ाने वाले सीमेंट विनिर्माण प्रक्रिया के प्राथमिक संघटकों में रॉ-मिल/भट्ठा, कोयला मिल, कूलर डिस्चार्ज और सीमेंट मिल तथा ऐसे अन्य संघटक भी शामिल हैं, जिन्हें उत्सर्जन/बहिस्रावों की अनुमेय सीमाओं के भीतर रखने के लिए विनियामक एजेंसियों द्वारा निगरानी की जाती है।

(ख) से (घ) तत्कालीन नलगोंडा जिले की सभी सीमेंट विनिर्माण इकाइयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण मौजूद हैं। रॉ-मिल/भट्ठों के लिए रिवर्स एयर बैग हाउस (आरएबीएच) या पल्स जेट बैग फिल्टर संस्थापित किए जाते हैं; सीमेंट मिलों के लिए बैग फिल्टर या इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) उपलब्ध कराए जाते हैं तथा चूना-पत्थर क्रशर और कोयला मिलों के लिए बैग फिल्टर संस्थापित किए जाते हैं। संयंत्र क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही जैसे अन्य स्रोतों के कारण उड़ने वाले धूल उत्सर्जनों को यांत्रिक सफाई मशीनों और जल छिड़काव से नियंत्रित किया जाता है। सभी सीमेंट उद्योग, प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के लिए ऑनलाइन स्टैक निगरानी प्रणालियां और ऑनलाइन सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (सीएएक्यूएम) प्रणालियों की व्यवस्था भी करते हैं और उन्हें राज्य/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब सर्वर से जोड़ा जाता है। विशेष समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली की नियमित निगरानी की जाती है और उत्सर्जन मानकों का अनुपालन न करने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यह मंत्रालय, किसी औद्योगिक एकक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हरित पट्टी के विकास के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी करते समय धूल, ध्वनि और गैसीय उत्सर्जन के कारण पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों के उपशमन हेतु पर्यावरणीय शर्तें अनुबंधित करता है।

यह मंत्रालय, नगर वन/वाटिकाओं का विकास करके शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थलों का सृजन करने के लक्ष्य के साथ-साथ शहरों/नगरों के अंदर या उनके सीमांत-क्षेत्रों की वन भूमि को अवक्रमण और अतिक्रमण से सुरक्षित करने के विचार से वर्ष 2020-21 से राष्ट्रीय काम्पा के माध्यम से वित्तपोषित, नगर वन योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। नलगोंडा, तेलंगाना में उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए 17.76 लाख रुपये की कुल लागत से दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और वर्ष 2022-23 में 12.44 लाख रुपये की प्रथम किस्त जारी की गई है।

****